FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलेक्टर मुकाम (SDO) बायतु

गुलाब सिंह बनाम भोमसिंह वगैरा

किस्म मुकदमा रा. वाद 88 RTAct नं. 183/2020 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/09/2020	प्रार्थी/~~वादी~~/अपीलांट के वकील श्री घमण्डाराम सारण ने यह प्रार्थना पत्र/~~वाद~~/अपील धारा 88 RTAct राजस्थान ~~काश्तकारी~~/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /~~प्रतिवादी~~/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 13/10/2020 को पेश हो। [हस्ताक्षर] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
13/10/20	पत्रावली पेश हुई। वादीगण वकील उप० प्रतिवादीगण के सम्मन तामिलशुदा प्राप्त जो शामिल मिसल किये गये। प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 की ओर से वकील श्री चेनाराम जाखड़ द्वारा वकालातनामा मय इकबाली जवाब दावा पेश किया गया जिसकी प्रति वादीगण वकील को दी गई। प्रतिगण-गण सं. 3 से 17 बावजूद तामिल अनुपस्थित/न्यायालय समय में बार-बार आवाज लगाई गई अन्तिम आवाज 5.45 बजे लगाई गई परन्तु प्रतिवादीगण	

[हस्ताक्षर]
सहायक कलक्टर
(SDO)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 14:39:47 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 3 से 17 उपस्थित नहीं हुए। अत: ~~इनके~~ प्रतिवादीगण सं. 3 से 17 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली वास्ते साक्ष्य व बहस दिनांक 19.10.2020 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बायतु

[illegible]

19.10.2020 पत्रावली आज पेश हुई। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के वकील उप०। वादीगण वकील की ओर से साक्ष्य के रूप में PW-1 स्वयं गुलाबसिंह पुत्र हीरसिंह जाति राजपूत नि. कुआरों की ढाणी तह. गिड़ा जिला बाड़मेर व PW-2 स्वतंत्र गवाह भंवरसिंह पुत्र दीपसिंह जाति राजपूत नि. [illegible] तह. गिड़ा जिला बाड़मेर के शपथ-पत्र पेश किये जिसे शामिल मिसल किया गया। वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 व 2 के वकील की बहस सुनी गई व पत्रावली पर मनन किया गया। बाद मनन वादीगण का वादपत्र ~~को वादिया~~ स्वीकार किया जाकर, निर्णय पृथक से लिखा जाता है। पत्रावली में निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर, दर्ज नम्बर के कम हो, दाखिल [illegible] हो।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 14:39:47 IST
Reason: SelfAttested

...यालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

(पीठासीन अधिकारी विवेक व्यास R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या– 183 / 2020

वादीगण

1. गुलाबसिंह पुत्र हीरसिंह
2. अनोपसिंह पुत्र हीरसिंह
3. सुआ कंवर पत्नी हीरसिंह

जातियान् राजपूत निवासी सुथारों की ढाणी, लापुन्दड़ा तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. भोमसिंह पुत्र हीरसिंह
2. जीवराजसिंह पुत्र हीरसिंह
3. अचलसिंह पुत्र भगसिंह
4. लखसिंह पुत्र भगसिंह
5. विजयसिंह पुत्र भगसिंह
6. मानसिंह पुत्र भगसिंह
7. रूपसिंह पुत्र भगसिंह
8. सगतसिंह पुत्र सुरतसिंह
9. चन्दनसिंह पुत्र सुजानसिंह
10. अचलसिंह पुत्र सुजानसिंह
11. गुमानसिंह पुत्र सुजानसिंह
12. राजूसिंह पुत्र सुजानसिंह
13. रूखमों कंवर पत्नी सुजानसिंह
14. चेनसिंह पुत्र शेरसिंह
15. दलपतसिंह पुत्र शेरसिंह
16. खेतसिंह पुत्र शेरसिंह
17. गुमानसिंह पुत्र शेरसिंह जातियान् राजपूत निवासी सुथारों की ढाणी, लापुन्दड़ा तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर
18. तहसीलदार गिड़ा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955.

उपस्थित :– 1. श्री घमण्डाराम सारण वकील वादीगण

2. श्री खेताराम जाखड़ वकील प्रतिवादी संख्या 1 व 2

–: निर्णय :– दिनांक : 19.10.2020

संक्षेप में वाद कथन इस प्रकार हैं कि वादीगण ने यह राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरूद्ध प्रतिवादी प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 17 की पैतृक ... खातेदारी भूमि मौजा सुथारों की ढाणी

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 14:39:47 IST
Reason: SelfAttested

मण्डल लापुन्दड़ा तहसील गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 2, 3, 4, 5 रकबा क्रमशः 01.14, 00. 00.07, 422.03 बीघा में आई हुई है। वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादीगण के पिता के कब्जे काश्त की थी तथा सेटलमेन्ट के समय वादीगण के पिता के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ व सेटलमेंट से लेकर आज दिन तक वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त है। वादीगण के पिता हीरसिंह के फौत होने पर भरे गये नामान्तरकरण में गुलाबसिंह के स्थान पर पर्वतसिंह, अनोपसिंह के स्थान पर गुमानसिंह व चौसाला खतौनी बनाते समय सुआकंवर के स्थान पर सुजाकंवर गलत अंकित कर दिया गया। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि वादीगण की पैतृक भूमि है और वादीगण अपने पैतृक भूमि में हिन्दू उतराधिकारी है और हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा है तथा वादीगण अपने हिस्से अनुसार भूमि का बाहामी बंटवाड़ा कर काबिज है। क्योंकि हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार हिन्दू पुरूश के पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र का विधि अनुसार जन्म से ही सहदायिकी अर्थात पैतृक सम्पति में अधिकार प्राप्त हो जाता है। अतः वादग्रस्त भूमि में वादीगण, प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 के साथ गुलाबसिंह अनोपसिंह व सुआकंवर घोषित करवाने के अधिकारी है एवं जिस हेतु घोषणा का वाद इस न्यायालय में पेश किया गया है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादीगण वकील द्वारा साक्ष्य रूप में PW 1 वादी स्वयं गुलाबसिंह, PW 2 स्वतंत्र गवाह भंवरसिंह पुत्र दीपसिंह के शपथ पत्र पेश किये गये तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से वकील श्री खेताराम जाखड़ द्वारा वकालातनामा व इकबाली जवाब लिखित में पेश कर, वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के समस्त पदों को स्वीकार करते हुए, वादग्रस्त भूमि में वादीगण को सहखातेदार घोषित करने की पूर्ण सहमति प्रदान की है। प्रतिवादी संख्या 3 व 14 के सम्मन तामिल शुदा प्राप्त होने के बावजूद अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वादीगण द्वारा ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी पेश किया गया।

न्यायालय द्वारा पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया तथा वादीगण वकील को सुना गया। चूंकि वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादीगण के पिता के कब्जे काश्त की थी एवं सेटलमेन्ट के समय वादीगण के पिता के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ था तथा वादीगण हरीसिंह के विधिक वारिसान् है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा बनता है व वादग्रस्त समस्त भूमि में वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के साथ पर्वतसिंह के स्थान पर गुलाबसिंह, गुमानसिंह के स्थान पर अनोपसिंह व सुजाकंवर के स्थान पर सुआकंवर नाम घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया वाद-पत्र स्वीकार कर, अन्तिम डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा सुथारों की ढाणी पटवार मण्डल लापुन्दड़ा तहसील गिड़ा के खेत

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 14:39:47 IST
Reason: SelfAttested

...ा नम्बर 2, 3, 4, 5 रकबा क्रमशः 01.14, 00.03, 00.07, 422.03 बीघा में पर्वतसिंह के स्थान पर ...ुलाबसिंह, गुमानसिंह के स्थान पर अनोपसिंह व सुजाकंवर के स्थान पर सुआकंवर शुद्ध किया जाता है। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान् अपना-अपना वहन करें।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

(विवेक व्यास)

सहायक कलक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी, बायतु

निर्णय आज दिनांक 19.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

सहायक कलक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी, बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 14:39:47 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

पीठासीन अधिकारी श्री विवेक व्यास R.A.S.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
गुलाबसिंह वगैरा		भोमसिंह वगैरा

दावा बाबत 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद संख्या—183 / 2020. **निर्णय दिनांक :—19.10.2020**

वादीगण की ओर से वकील श्री घमण्डाराम सारण व प्रतिवादी संख्या 1 से 2 की ओर से वकील श्री खेताराम जाखड़ की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 19.10.2020 को न्यायालय में (नाम पीठासीन अधिकारी) विवेक व्यास, सहायक कलक्टर व उपखण्ड अधिकारी बायतु के समक्ष अन्तिम निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :—

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा सुथारों की ढाणी पटवार मण्डल लापुन्दड़ा तहसील गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 2, 3, 4, 5 रकबा क्रमशः 01.14, 00.03, 00.07, 422.03 बीघा में पर्वतसिंह के स्थान पर गुलाबसिंह, गुमानसिंह के स्थान पर अनोपसिंह व सुजाकंवर के स्थान पर सुआकंवर शुद्व किया जाता है। तहसीलदार बायतु निर्णयानुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें।

खर्चा वाद पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 19.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह—व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 14:39:47 IST
Reason: SelfAttested

बनाम

वादीगण

1. गुलाबसिंह पुत्र हीरसिंह
2. अनोपसिंह पुत्र हीरसिंह
3. सुआ कंवर पत्नी हीरसिंह
   जातियान् राजपूत निवासी सुथारों की ढाणी, लापुन्दड़ा तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर

प्रतिवादीगण

1. भोमसिंह पुत्र हीरसिंह
2. जीवराजसिंह पुत्र हीरसिंह
3. अचलसिंह पुत्र भगसिंह
4. लखसिंह पुत्र भगसिंह
5. विजयसिंह पुत्र भगसिंह
6. मानसिंह पुत्र भगसिंह
7. रूपसिंह पुत्र भगसिंह
8. सगतसिंह पुत्र सुरतसिंह
9. चन्दनसिंह पुत्र सुजानसिंह
10. अचलसिंह पुत्र सुजानसिंह
11. गुमानसिंह पुत्र सुजानसिंह
12. राजूसिंह पुत्र सुजानसिंह
13. रूखमों कंवर पत्नी सुजानसिंह
14. चेनसिंह पुत्र शेरसिंह
15. दलपतसिंह पुत्र शेरसिंह
16. खेतसिंह पुत्र शेरसिंह
17. गुमानसिंह पुत्र शेरसिंह
    जातियान् राजपूत निवासी सुथारों की ढाणी, लापुन्दड़ा तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर
18. तहसीलदार गिड़ा

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 14:39:47 IST
Reason: SelfAttested